न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पील संख्या : 17 / 200

1. श्रीमती नन्दू बाई आयु 75 वर्ष विधवा श्री गोमदा जाति बलाई निवासी ग्राम कोटखेडा तहसील एवं जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1 / 1. सीताराम आयु 50 साल आत्मज श्री गोमदा जाति बलाई निवासी ग्राम कोटखेडा तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. श्रीमती धापू बाई आयु 60 वर्ष पत्नी श्री मांगी लाल जाति बलाई निवासी ग्राम सीलोर तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. श्रीमती गोबरी बाई आयु 35 वर्ष पुत्री स्व0 सुन्दरा जी पत्नी श्री गोरधन जाति बलाई निवासी बडी गुवाडी वार्ड नं0 17 के0 पाटन जिला बून्दी ।
4. श्रीमती लाली आयु 26 वर्ष पुत्री स्व0 सुन्दरा पतनी श्री रामराज जाति बलाई निवासी ग्राम लीलेडा व्यासान तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
5. नारायण आयु 65 वर्ष आत्मज सुन्दरा जाति बलाई निवासी ग्राम जलोदी तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

—अपीलान्ट

बनाम

1. श्री फकरूद्दीन आयु 68 वर्ष आत्मज अब्देली जाति मुसलमान बोहरा निवासी बोहरा मोहल्ला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1 / 1. काईद जौहर पुत्र श्री फकरूद्दीन जाति मुसलमान निवासी बोहरा मोहल्ला बून्दी ।
2. मोहम्मद हुसैन आयु 26 वर्ष आत्मज बुहरहानुद्दीन जाति मुसलमान बोहरा निवासी बोहरा मोहल्ला बून्दी ।
3. शब्बीर हुसैन आत्मज श्री फकरूद्दीन जाति मुसलमान बोहरा निवासी बोहरा मोहल्ला बून्दी ।
4. मुर्तजा अली आत्मज स्व0 श्री ताहिर अली जाति मुसलमान बोहरा निवासी बोहरा मोहल्ला बून्दी ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी ।
6. रामदेव पुत्र श्री भूरा जाति मेघवाल निवासी चापरस तहसील बून्दी ।
7. प्रकाश आत्मज श्री नारायण जाति मेघवाल निवासी चापरस तहसील एवं जिला बून्दी

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सुरेन्द्र नारानीवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कुलदीप सिंह गौड, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 6 एवं 7 की ओर से ।
3. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 4 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 11.04.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.03.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत ग्राम चापरस तहसील व जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 96 रकबा 06 बीघा 17 बिस्वा के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि काली बेवा श्री काल्या जी कौम बलाई निवासी कोटखेडा के खाते व कब्जे की भूमि है । राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि श्रीमती काली के खाते में दर्ज है और राहिन नूर अली वल्द अहमद अली जाति मुसलमान निवासी बोहरा मोहल्ला के नाम दर्ज है । उक्त भूमि श्रीमती काली बेवा श्री काल्या जाति बलाई के कब्जे की भूमि है । श्रीमती काली बाई ने उक्त भूमि को कभी रहन नहीं रखा । उक्त भूमि में राहिन का नाम नूर अली अंकित हो रहा है जो अवैध है । वादीगण उक्त भूमि पर बहैसियत काश्तकार खातेदार काश्त करते चले आ रहे हैं । वादीगण उक्त राहिन के इन्द्राज को हटवाने के अधिकारी हैं तथा वादीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी हैं और वादी संख्या 1, 2, 3 व 4 संयुक्त रूप से 1/3 – 1/3 हिस्से के रूप में अपना नाम खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी हैं ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादीगण को संयुक्त रूप से 1/3–1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में अंकित उक्त भूमि के सम्बन्ध में राहिन नूर अली वल्द अहमद अली कौम मुसलमान साकिन बून्दी मु0बि0क0 का नाम विलोपित किया जावे । राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार वादीगण का नाम दर्ज किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.03.2017 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.03.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी की मूल खातेदार मृतक काली बाई बेवा काल्या के वास्तविक उत्तराधिकारियों बाबत् जॉच रिपोर्ट है जो प्रस्तुत प्रकरण में निर्णय पारित करने हेतु आवश्यक दस्तावेज है जिसे रिकॉर्ड पर लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है । अतः

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जावे ।

8. हमने उक्त प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । उक्त दस्तावेज प्रस्तुत प्रकरण के निस्तारण में कितने सहायक हैं यह तो निर्णय के समय की मालूमा होगा अभी ऐसी स्थिति में हम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामे को आधार मानकर हिन्दू, धापू व चन्दू स्वर्गीय काली बाई की लडकियॉ नहीं है, इस आधार पर तनकी संख्या 1 निर्णय करने में त्रुटि की है । प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 से 4 ने अपने प्रतिवाद पत्र व राजीनामे में नन्दूबाई, धापूबाई व चन्दू बाईी को काली बाई की पुत्रियॉ होना माना है तथा स्वयं रेस्पोडेन्ट कम 6 व 7 द्वारा अपने बयानों में तीनों लडकियों को काली की पुत्रियॉ होना माना है । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पक्षकारान में भूमि को आधौली पर जोतने का इकरारनामा निष्पादित किया हुआ है जिसे रेस्पोडेन्ट कम 6 व 7 द्वारा अपने बयानों में अपने हस्तक्षरों करना स्वीकार किया है । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने मु0 काली बाई बेवा काल्या के वास्तविक उत्तराधिकारियों की जॉच करने का आदेश दिया है जिस पर जॉच कर ली गई है और उक्त जॉच रिपोर्ट में वादीगण अपीलान्ट को मृतक कालीबाई का उत्तराधिकारी माना है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिकी पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिकी दिनांक 01.03.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट कम 1 से 4 के लायक अधिवक्ता ने अपीलान्ट की लायक अधिवक्ता की बहस पर अपनी सहमति बताते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

11. रेस्पोडेन्ट कम 6 एव 7 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिकी पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । वादीगण वादग्रस्त आराजी पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहते हैं जबकि वादीगण ने अपना वाद साबित नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए उक्त निर्णय एवं डिकी पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिकी दिनांक 01.03.2017 बहाल रखा जावे ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसे न्यायालय हाजा ने रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश भी पारित किया है । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आरजी की खातेदार मृतक काली बाई के उत्तराधिकारियों की जॉच करने बाबत् आदेशित किया था जिस पर

तहसीलदार द्वारा मृतक काली बाई के उत्तराधिकारियों की जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है जिसे न्यायालय हाजा ने रिकॉर्ड पर लिये जाने के भी आदेश पारित किये हैं । चूँकि उक्त दस्तावेज को विचारण न्यायालय द्वारा देखा जाना है ऐसी स्थिति में हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनाक 01.03.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 28.05.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 11.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा